कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28013 / 18–19 / दिनांकः 26.06.2019

समस्त, जिलाशिक्षा अधिकारी **Most Urgent**
मुख्यालय,
माध्यमिक शिक्षा

विषयः– सामान्य(आर्थिक पिछड़ा वर्ग) की मेधावी छात्राओं को स्वीकृत स्कूटियों में से वितरण से शेष रही 23 स्कूटियों का बीमा व पंजीयन की कार्यवाही कराकर छात्रा के नाम हस्तान्तरण करनें बाबत ।

संदर्भः– शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28013 / 18–19 / दिनांक 09.08.2018 एवं 28.03.2019, 18.04.2019 एवं 01.05.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 25.07.2018, 27.08.2018 एवं 25.09.2018 द्वारा सामान्य वर्ग (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) की मेघावी छात्राओं के लिए क्रमशः 607, 163 एवं 20 स्कूटियां क्रय के आदेश मैसर्स TVS Motor Company Ltd. को दिया जाकर आपूर्ती जिला शिक्षा अधिकारीयों को करने के निर्देश दिये गये थे। इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 01.10.2018 एवं 12.04.2019 एवं 16.04.2019 द्वारा पदमाक्षी एवं सामान्य (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) में आवंटित दोहरी स्कूटियों को 13 जिलों में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने के निर्देश दिये है । उक्त निर्देशो के अनुसार प्रत्येक जिले में स्वीकृत स्कूटियां व जिला कार्यालयो द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वितरित स्कूटियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	जिले का नाम	स्वीकृत स्कूटी	वितरित	अवितरित
1	अजमेर	21	16	5
2	भीलवाड़ा	8	8	0
3	नागौर	28	26	2
4	टोंक	10	9	1
5	चूरू	53	48	5
6	सीकर	56	55	1
7	झुंझुनूं	27	24	3
8	हनुमानगढ	20	20	0
9	श्रीगंगानगर	16	16	0
10	बीकानेर	48	47	1
11	उदयपुर	32	31	1
12	बांसवाड़ा	6	5	1
13	प्रतापगढ	1	1	0

.....2.....

www.rajteachers.com

14	राजसमन्द	10	10	0
15	डूंगरपुर	8	7	1
16	चित्तोड़गढ	4	4	0
17	जयपुर	117	116	1
18	दौसा	29	28	1
19	अलवर	47	47	0
20	भरतपुर	52	52	0
21	सवाईमाधोपुर	33	33	0
22	करौली	28	28	0
23	धौलपुर	14	14	0
24	कोटा	28	28	0
25	झालावाड़	6	6	0
26	बारां	14	14	0
27	बूंदी	9	9	0
28	जोधपुर	32	32	0
29	जालोर	6	6	0
30	जैसलमेर	3	3	0
31	बाड़मेर	10	10	0
32	पाली	8	8	0
33	सिरोही	6	6	0
	योग	790	767	23

जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर, नागौर,टोंक, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर एवं दौसा में उपरोक्त विवरणानुसार 23 स्कूटियां अवितरित रही है । अतः अवितरित रही स्कूटियों का बीमा एवं पंजीयन की कार्यवाही अविलम्ब कराई जाकर छात्रा के नाम हस्तान्तरण करनें की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जावे । इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.03.2019 द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिंकारियो को स्वीकृत स्कूटियां के बीमा व पंजीयन के उपरान्त छात्रा के नाम हस्तान्तरण करने की रिपोर्ट चाही गई थी । लेकिन अधिकांश जिला शिक्षा अधिकारियो से उक्त रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । निम्न प्रपत्र में स्कूटियों के पंजीयन, वितरण एवं छात्रा के नाम पंजीयन हस्तान्तरण की रिपोर्ट इस कार्यालय को 07 दिवस में अनिवार्य रूप से भिजवाई जानी सुनिश्चित करावें ।

क. स	**बालिका का नाम व पता**	**कक्षा व वर्ग**	**स्वीकृत स्कूटी की चेसिस नं.**	**स्वीकृत स्कूटी के पंजियन संख्या एवं पंजियन तिथि**	**स्कूटी वितरण की तिथि**	**स्वीकृत स्कूटी के बालिका के नाम पंजियन हस्तांतरण की तिथि**
1	2	3	4	5	6	7

.....3.....

www.rajteachers.com

नोटः– स्वीकृत स्कूटियों के परिवहन विभाग में कराये गये स्थायी पंजीयन संख्या का उल्लेख कालम संख्या 5 में अनिवार्य रूप से किया जावे ।

जिला शिक्षा अधिकारी स्कूटियों का बीमा, पंजीयन एवं वितरण के सम्बन्ध में निम्न प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे ।

प्रमाणित किया जाता है कि जिशिअ कार्यालय............ को सामान्य (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) की कुल.............. स्कूटियां स्वीकृत की गई है जिसमें से .... स्कूटियों का पंजीयन बीमा एवं बालिका के नाम स्कूटी का पंजीयन हस्तान्तरण उपरांत स्कूटियों के वितरण उपरोक्त प्रपत्रानुसार किया जा चुका है।

हस्ताक्षर संबंधित जि.शि.अ

इस कार्यालय के आदेश दिनांक 25.07.2018 एवं 27.08.2018 क्रय आदेशो में वर्णित स्कूटियों का बीमा पूर्व में कराया हुआ है । इस कार्यालय के आदेश दिनांक 25.09.2018 के आदेशो की अनुपालना में प्राप्त स्कूटियों की बीमा की कार्यवाही उक्त आदेशो को ध्यान में रखते हुए कराया जाना है । अतः वितरण से वंचित शेष 23 स्कूटियों की बीमा एवं पजीयन सम्बन्धी कार्यवाही इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.04.2019 एवं 01.5.2019 द्वारा 05 दिवस में चाही गई थी, लेकिन अभी तक अधिकांश कार्यालयो द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट नहीं की गई है। अतः दिनांक 30.06.2019 तक स्कूटियों के बीमा एवं पंजीयन उपरांत बालिका के नाम पंजीयन हस्तांतरण की कार्यवाही की जाकर प्रगति रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत करावे। इसके लिए यदि कोई बजट की आवश्यकता हो तो तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यंक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र को पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ जिलों में शिक्षण सत्र 2017–18 के लिए वित्त वर्ष 2018–19 में सामान्य वर्ग की (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) की बालिकाओं को आंवटित स्कूटियों के बीमा एवं पंजियन उपरांत बालिकाओं के नाम पंजियन हस्तांतरण रिपोर्ट के साथ समेकित रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.04.2019 एव 01.05.2019 द्वारा 05 दिवस में चाही गई थी । लेकिन अधिकांश संयुक्त निदेशक कार्यालयों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं की गई है । अतः अब वांछित समेकित रिपोर्ट दिनांक 30.06.2019 तक आवश्यक रूप से भिजवाई जावे ।
2. T.V.S. Motor Company Limited, Chennai को सूचनार्थ ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com